

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0 09/2022

—:आदेश:—

20/10/22

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर के द्वारा अपने पत्रांक— 1231, दिनांक —01.10.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1.काशीनाथ खानी, 2. विश्वनाथ खानी, 3. संतोष खानी, पिता— स्व0 मुकुन्द खानी, साकिम— करमाटांड, थाना— बलियापुर, जिला— धनबाद अपनी जमीन मौजा— करमाटांड, मौजा नं0—15, पुराना खाता सं0— 10, पुराना प्लॉट नं0— 801, 802, 789, नया खाता नं0— 246, नया प्लॉट नं0— 1368, 1369, 1372, 1371, 1377, 1378, 1373, 1376, 1426, क्रमशः रकबा— 04 डि0+ 13 डि0+ 16 डि0+ 12 डि0+ 06 डि0+ 1.50 डि0+ 04 डि0+ 09 डि0+ 09 डि0= कुल 74.50डिसमील, भूमि क्रेता 1. अजय कुमार खानी, पिता— स्व0 पंचानन खानी, 2. निताय खानी, पिता— भरत खानी, 3. बबलु कुमार खानी, पिता— झगरू खानी, साकिम— करमाटांड, थाना— बलियापुर, जिला— धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कहार हैं तथा दोनों एक ही थाना— बलियापुर, जिला— धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 25.5 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।